फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़

शबनम. बनाम हनीफ बगै.

प्रा. पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्थगन प्रा0 पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
02.09.2020	आज यह प्रा.पत्र सायल के वकील द्वारा मय प्रा0 पत्र 212 आर. टी.एक्ट पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र एवं फोटोप्रति जमाबन्दी 2069–2075 पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। हमने वक़ील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.09.2020 तक पाबन्द किया जाता हैं कि विवादित आ.ख. नं0 हाल 135 वाके ग्राम सैमलाखूर्द तहसील गोविन्दगढ में सायल के हिस्से में कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा ना करने तथा रहन बय मुन्तकिल ना करने हेतु पाबन्द किया जाता है। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई एतराज हो तो नियत दिनांक को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावें। आदेश जारी हो।पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जर्ये कोर्ट नोटिस तलब कर दिनांक 28. 09.2020 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ अलवर	
28/9/20	[illegible stamp] उप० [illegible] [illegible] ..... । [illegible] दिनांक 14/12/20 को पेश हो। [illegible]	
14/12/20	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की तलबी अप्राप्त। तब तक पूर्व में जारी स्थगन आदेश की अवधि को आगे बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 11/1/21 को पेश हो। [signature]	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

शबनम खाँ बनाम हनीफ खाँ वगैरह

प्रकरण सं. 2(67)/2021 तारीख रजू 15.11.2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
02.02.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नही। वकील व उनके प्रार्थी को बार-बार आवाज दिलायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके प्रार्थी उपस्थित नही आये। अतः प्रार्थना पत्र-212 RTA वकील व उनके प्रार्थी की अदम हाजिरी-अदम पेरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील शामिल वाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	